2025/22

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021

सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
उपखण्ड ..... जिला ..... (राज.)

विषयः– राजस्व रेकर्ड दुरस्ती बाबत् अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 ।

द्वाराः– पटवारी पटवार हल्का ..... पांचोता .....

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व रेकार्ड में अशुद्ध हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है –

भूमि का विवरण	जमाबंदी में प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि को अन्डरलाईन करें)	की जाने वाली शुद्ध प्रविष्टि का विवरण
1	2	3
पटवार हल्का पांचोता राजस्व ग्राम पांचोता खाता संख्या 455 खसरा संख्या 1358/226, 1355/224, 22 रकबा हेक्टेयर मे 1.6550 है.	कुनणा पुत्र पीरदान जाति खटीक साकिन पांचोता	कुनणा राम पुत्र पीर बख्श जाति खटीक साकिन, पांचोता नावा

संलग्न दस्तावेज (सलंग्न दस्तावेज पर टिक का निशान लगाए) –

1. अशुद्धि होने से तुरन्त पहले की जमाबंदी/नक्शा
2. अशुद्धि के बाद की वर्तमान जमाबंदी/नक्शा
3. प्रभावित नामान्तरण की सत्यप्रति
4. हिस्से संबंधी अशुद्धि होने पर मजमे आम में हल्का पटवारी द्वारा तैयार सजरा / वंशावली
5. प्रार्थी द्वारा वंशावली के संबंध में शपथ पत्र।

कुल संलग्नक संख्याः– .....

कुनणा राम
हस्ताक्षर आवेदक

हल्का पटवारी व भू.अ.नि. की टिप्पणी मय स्पष्ट अनुशंशा (सपोर्टेड दस्तावेजों की जांच उपरांत):–

~~मौके पर~~ ~~मौके पर~~ ~~जाता~~ ~~उत्तराधिकार~~ ~~शुद्ध किया~~ ~~जाता उचित है~~

भू.अ.निरीक्षक नावां 2/1/2025

हस्ताक्षर पटवारी पांचोता
02-01-2025

तहसीलदार की टिप्पणी :–

तहसीलदार नावां
हस्ताक्षर तहसीलदार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ~~कुम्भलगढ़~~ नावां जिला ~~राजसमंद~~ डीडवाना-कुचामन

कमांक/राजस्व/धारा 136/2024/07 दिनांकः– 07/01/2025

आदेश

प्रार्थी कुनणा राम निवासी पांचोता के आवेदन तथा हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार नावां की रिपोर्ट संलग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रेकर्ड मे हुई अशुद्धि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उपरोक्त आवेदन पत्र के सारणी के बिन्दु सं. 3 में अंकित प्रविष्टि अनुसार शुद्धि की कार्यवाही कर तहसीलदार कुम्भलगढ़ राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी नावां

कमांक/राजस्व/धारा 136/2024/07 दिनांकः– 07/01/25

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. तहसीलदार नावां को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
2. हल्का पटवारी पांचोता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।
3. प्रार्थी / आवेदक कुनणा राम को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी नावां

कमांक/राजस्व/धारा 136/2024/10 दिनांकः